निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आषाढ़ 1935 (श0)
(सं0 पटना 520) पटना, वृहस्पतिवार, 4 जुलाई 2013

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

15 मई 2013

सं0 22/नि0सि0(वीर0)–07–08/2005/583––श्री राजीव नन्दन मौय, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पूर्वी तटबंध प्रमण्डल सं0–2, वीरपुर के पत्रांक 306 दिनांक 4.4.05 द्वारा श्री विजय चन्द्र ठाकुर, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, पूर्वी तटबंध प्रमण्डल सं0–2, वीरपुर के विरुद्ध स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन नहीं करने, उनके लिए आवंटित आवास में नहीं रहने, उच्चाधिकारियों के आदेश का अवहेलना करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। कार्यपालक अभियन्ता से प्राप्त पत्र के आलोक में मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर से इस संबंध में स्पष्ट मंतव्य की मांग की गयी। इस संबंध में मुख्य अभियन्ता द्वारा प्राप्त कराये गये जांच प्रतिवेदन के आलोक में आरोप गठित करते हुए विभागीय पत्रांक 891 दिनांक 18.8.06 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। साथ ही श्री राजीव नन्द मौय, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता से भी विभागीय पत्रांक 844 दिनांक 17.8.06 से स्पष्टीकरण पूछा गया। दोनों अभियन्ताओं से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि एक दूसरे के विरूद्ध आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए प्रशासनिक अनुशानहीनता का वातावरण सृजन करने के लिए दोनों दोषी है। उपरोक्त अनुशासनहीनता का वातावरण सृजन करने के लिए विभागीय अधिसूचना सं0 1067 दिनांक 27.9.12 से निम्न दण्ड अधिसूचित किया गया हैः–

1. चेतावनी
2. यह ध्यान रखेगें की भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो।

उक्त दण्ड के विरुद्ध श्री मौर्य द्वारा अपील अभ्यावेदन विभाग को समर्पित किया गया। अपील अभ्यावेदन में श्री मौर्य द्वारा उल्लेख किया गया है कि ''यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन बिन्दूओं एवं आधार पर उन्हें दोषी ठहराया गया है''। सही नहीं है। दण्डादेश में ही एक दूसरे के विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए प्रशासनिक अनुशासनहीनता का वातावरण सृजन करने के लिए दोषी मानते हुए श्री मौर्य को दण्ड दिया गया है। श्री मौर्य कार्यपालक अभियन्ता द्वारा सीधे आयुक्त एवं सचिव से श्री विजय चन्द्र ठाकुर, कनीय अभियन्ता को बर्खास्त करने की अनुंशसा की गयी थी, जो उनके क्षेत्राधिकार से बाहर की कार्रवाई थी। पत्र में प्रयुक्त असौम्य भाषा भी प्रशासनिक अनुशासनहीनता को दर्शाती है। श्री ठाकुर, कनीय अभियन्ता एवं श्री मौर्य, कार्यपालक अभियन्ता के व्यवहार कुशलता एवं कार्यकलापों की जांच मुख्य अभियन्ता, वीरपुर से करायी गयी। अधीक्षण अभियन्ता, वीरपुर के प्रतिवेदन से मुख्य अभियन्ता, वीरपुर द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है। जिसमें दोनों पदाधिकारियों को दोषी ठहराया गया है इसलिए श्री

मौर्य का यह कथन सही नहीं है कि मुख्य अभियन्ता, वीरपुर के जांच प्रतिवेदन में उन्हें दोषी नही बताया गया है। मुख्य अभियन्ता, वीरपुर के प्रतिवेदन के आलोक में समीक्षोपरान्त प्रशासनिक अनुशासनहीनता का वातावरण सृजन करने के प्रमाणित आरोप के लिए दोनों पदाधिकारी को चेतावनी का दण्ड संसूचित किया गया है। जिसके लिए असहमति के बिन्दु का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मौर्य का यह कथन कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में दिये गये फैसले के कारण प्रोन्नति से वंचित करने के लिए उन्हें दण्ड दिया गया है। पारित आदेश में आवेदक श्री मौर्य को प्रोन्नति पर विचार एक अनुसूचित जाति के पदाधिकारी के रूप में किया जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों में चमार को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। दण्ड देने में इसलिए विलम्ब हुआ कि समीक्षोपरान्त मुख्य अभियन्ता, वीरपुर से प्रतिवेदन की मांग की गयी। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समीक्षोपरान्त दोनों पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा गया। उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। अन्ततः दोनों पदाधिकारी को दण्ड दिया गया। लम्बी प्रक्रिया अपनाने के कारण विलम्ब हुआ। ऐसी स्थिति में सरकार के समीक्षोपरान्त श्री मौर्य के अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय श्री मौर्य को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 520-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in